तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :— 94/2023 लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण संस्थान जरिये सचिव बनाम दिनेश वगै0 दावा बाबत घोषणार्थ एवं दुरूस्त किये जाने नक्शा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

—: निर्णय :—

12.09.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी की ओर से एक वाद इस आशय का पेश किया गया कि राजस्व ग्राम भड़ौंदा कला पटवार हल्का भड़ौंदा कला में हाल भूमि खसरा नं. 1961/1438 अवस्थित है। वादी सुरेन्द्र कुमार ने भूमि खसरा नं. 1438 के खातेदार पन्ना पुत्र कुरडा से 0.22 है भूमि दिनांक 30.12.2004 को जरिये विक्रय पत्र खरीद ली, उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक में 0.22 है0 भूमि का नामान्तकरण हो गया। वादी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होकर आराजियात पर भौतिक रूप से काबिज काश्त हो गया। हल्का पटवारी ने विक्रय पत्र के नामान्तकरण के समय खसरा नं. 1961/1438 रकबा 0.22 है0 का नक्शा रकबे के विपरीत गलत दर्ज कर दिया। वादी सुरेन्द्र ने उक्त भूमि मेंसे 2000 वर्ग मीटर का संपरिवर्तत करवा कर संपरिवर्तित भूमि लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण संस्थान के हक में विक्रय कर दी। जब संस्था को विकसित करने हेतु बैंक से लोन लेने की जरूरत संस्था को हुई तो बैंक अधिकरी ने बताया की भूमि का नक्शा रकबे के मुताबिक नहीं है पहले इसमें संशोधन करवायें। इस कारण न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने ईकबाली जबाब के रूप में अपने स्वयं के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 5 सरकार की ओर से मौका स्थिति बाबत रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक : भू0अ0/2023/1605 दिनांक 11.08.2023 द्वारा पेश की। पत्र के साथ संलग्न मूल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नं. 1961/1438 रकबा 0.22 है0 भूमि का नक्शे में तरमीम 0.15 है0 है, तथा यह भी रिपोर्ट में जाहिर किया गया है कि उक्त खसरा नं. की तरमीम संशोधित किया जाना उचित है। वादी अधिवक्ता आबिद खान के निवेदन पर बहस पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता ने मुताबिक रिपोर्ट नक्शा संशोधित करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि (i) भूमि खसरा नं. 1961/1438 रकबा 0.22 है0 का नक्शा मुताबिक रकबा नहीं है। (ii) तहसीलदार द्वारा पेश किये गये पत्र के साथ संलग्न मूल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नं. 1961/1438 रकबा 0.22 है0 भूमि का नक्शे में तरमीम 0.15 है0 है, तथा यह भी रिपोर्ट में जाहिर किया गया है कि उक्त खसरा नं. की तरमीम संशोधित किया जाना उचित है। अतः वाद वादी अंतिम रूप से सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :—

—: निर्णय :—

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भड़ौंदा कला पटवार हल्का भड़ौंदा कला तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 1961/1438 का नक्शा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय व डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर में कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदायी (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती कविता गोदारा आर.ए.एस.**

उनवान :– रामेश्वर बनाम लादू वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ

मुकदमा नं. :– 94 / 2023 निर्णय दिनांक : 12.09.2023

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आबिद खान की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.09.2023 को श्रीमती कविता गोदारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम भड़ौंदा कला पटवार हल्का भड़ौंदा कला तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 1961 / 1438 का नक्शा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय व डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर में कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	5	योग	

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू